

कलकत्ता-१५-१९५५

2

02 कार्यवाही करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एन. 7(1)बी/सी/ए-2 /95 दिनांक 08.04.2003 से अनुभाग राजस्थान पब्लिक से दिनांक एन. 06.2002 का संदेश तत्सम पत्रवात माध्यम से संबंध के फॉलोअप के तहत संबंध की संख्या 02 से अधिकांश की जाने वाली प्रकृति के आवश्यक कार्यवाही आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाय।

06 जिन अधिकांशों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्ति शिक्षक/प्रशिक्षक योग्यता अर्जित की है उन्हें प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूर्ण सम्बंधित अधिकांशों से प्राप्ति प्राप्त करें कि अन्य द्वारा प्रस्तुत सुनिश्चित एवं दस्तावेज नहीं है। दस्तावेज के पूर्णता जांचे अथवा कृत्यवित्त प्राप्त करने पर संबंधी नियुक्ति दिनांक किसी पूर्व अधिकांश के निमित्त की जा सकती एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई करने हेतु विचार इत्यादि द्वारा।

08 प्रेषित अधिकांश विभाग की वेबसाइट <http://education.rajasthan.gov.in/Secondary> एवं <http://rajasthan.gov.in> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिसूचित होंगे।

उक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम वीरभद्र मुरारिन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तर्निहित आदेश दिनांक 09.05.2017 के निर्णय एवं एसडी सिविल रिट विंगेशन संख्या 8857/2017 अरविन्दकुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तर्निहित आदेश दिनांक 02.08.2017 के निर्णय के अधिकांशों रहने के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4695-4699/2018 रिशाल व अन्य बनाम आयोजन व अन्य में अन्तर्निहित एसएससी संख्या 14306-14310/2017 पारित आदेश दिनांक 02.05.2018 की अनुसरण से माननीय न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर विचार की गई संशोधित एंटर कुजी के आधार पर प्राथमिक स्कूल शिक्षा प्रशिक्षण परीक्षा 2015 विषय संस्कृत (स्त्र) के पूरे घोषित परीक्षा दिनांक 29.05.17 के अतिरिक्त में दिनांक 08.06.17 को जारी किंडे गेथ महीनान परीक्षा के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अधिसूचना से प्राप्त अभिलेखांक के आधार पर पदस्थापित किया जाता है। इनके अलावा नियुक्ति पर दिने गेथ पदस्थापित स्थान पर दिनांक 04.09.2018 तक कार्यवाही करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यवाही नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। अधिकांश द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सुबोधा नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समस्त की जा सकती।

संलग्न- 36 अधिकांशों की सूची।



(सहस्र डिप्टी)

संयोजक

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान कीर्तन

दिनांक - 24.8.2018

क्रमिक - सिविल/मा/संस्था/सी-1/नियुक्ति-संस्कृत/पीएससी-15/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- 01 शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
- 02 शासन उप-सचिव शिक्षा (एन-2)/कार्य (गुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
- 03 सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
- 04 संयोजक उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा / विभा. शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/मा)
- 05 अनुसूचक अनुभाग कार्यालय राज. को विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने हेतु
- 06 संयोजक अधिकांश राज. विभा. संबंधित आदेशों
- 07 अनुभाग अधिकांश माननीय प्रतिवेदन/परिष्ठा/ओएससी प्रभाग कार्यालय द्वारा।
- 08 निजी/रहित पत्रवाही


संयोजक निदेशक (कार्य) माध्यमिक शिक्षा - राजस्थान
दीक्षा

